

**कार्यालय अध्यक्ष महारानी सुदर्शन सुदर्शन महाविद्यालय विकास समिति (रजि) बीकानेर
निविदा नियम व शर्त सुरक्षागार्ड बिड वर्ष 2019–20**

निविदा प्रपत्र

कार्यालय में आवश्यकतानुसार वर्ष भर सुरक्षागार्ड कार्य कराने के लिए दर अनुबंध हेतु
बिड प्रपत्र

1. सविदा एजेन्सी /फर्म का नाम व स्थाई पता.....

.....

.....

2. दूरभाष संख्या.....मोबाइल न.....

क्र. सं.	विवरण	निविदादाता द्वारा दी जाने वाली ठेके की राशि समस्त कर सहित
01	सुरक्षाकर्मी / चौकीदार की सेवाएं मय यूनीफार्म (रिटायर्ड मिलीटरी पर्सन)	प्रति व्यक्ति दर प्रतिमाह.....

1. मुझे निविदा के साथ संलग्न शर्ते मंजूर हैं।
2. निविदा शुल्क राशि रु 200/- जमा कराने का विवरण :
नकद जमा रसीद संख्या.....दिनांक.....
3. अमानत राशि जमा कराने का विवरण : 2 प्रतिशत राशि रु
डीडी / बैंकर चैक सं.....दिनांक.....
बैंक का नाम मय एमआईसीआर एवं आइएफएससी कोड
4. निविदादाता का कार्य संबंधित पंजीयनों का विवरण (समस्त की सत्यापित प्रतियां निविदा के साथ संलग्न करें) :

क्र.सं.	विभाग	रजिस्ट्रेशन न.	पंजीकरण वर्ष व दिनांक
01	श्रम विभाग		
02			
03			
04			
05			


प्राचार्य
 राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
 बीकानेर (राज.)

मैंने/हमने एमएस कालेज द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....
दिनांकमें वर्णित एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों को
स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैंने/हमने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हे मैं/हम मानने
के लिए बाध्य हूं/हैं तथा प्रपत्र के साथ चैक लिस्ट के अनुसार मेरे द्वारा प्रमाण पत्र
निविदा के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

दिनांक :

निविदादाता / श्रमप्रदाता एजेन्सी के हस्ताक्षर
निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे /हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कॉलेज प्रशासन
को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त
निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या
महाविद्यालय, बीकानेर को करता हूं/ करते हैं।

निविदादाता/ श्रमप्रदाता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

मोबाइल न

ईमेल :

③

प्राचार्य

राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

**कार्यालय अध्यक्ष महारानी सुदर्शन सुदर्शन महाविद्यालय विकास समिति (रजि) बीकानेर
निविदा नियम व शर्त सुरक्षागार्ड बिड वर्ष 2019–20**

1. दरें सम्पूर्ण कार्य की एकमुश्त प्रतिमाह की दर से समस्त कर सहित देवें।
2. निविदादाता द्वारा दी गई दरें दिनांक 30.06.20 तक मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर इसमें अभिवृद्धि की जा सकती है।
3. सफल निविदादाता फर्म /व्यक्ति को उक्त कार्य का भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा। अतः फर्म बैंक में अपना खाता खुलवाकर उसका नम्बर स्टोरकीपर / कैशियर को देगा।
4. उक्त निविदा श्रम विभाग में व सैनिक कल्याण बोर्ड आदि में रजिस्टर्ड फर्म ही भर सकती है। साथ ही उस फर्म का न्यूनतम एक वर्ष के कार्य का कार्यानुभव होना आवश्यक है। इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. रजिस्टर्ड फर्म को बिड स्वीकृत हो जाने पर सात दिन के अंदर प्रतिभूति की 5 प्रतिशत जमा करवाने होगे। बिड की अवधि में निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर बिड निरस्त कर प्रतिभूति की राशि निम्न हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा जब्त कर ली जा सकेगी। तथा ब्लेक लिस्टेड की जा सकेगी।
6. सफल रजिस्टर्ड फर्म को इकरारनामा 500/- रु के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर बिड चालू करने से पूर्व इकरारनामे में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
7. बिड को स्वीकृत करने या न करने का अधिकार प्राचार्य को होगा उसके साथ ही एक माह के नोटिस पर प्राचार्य को बिड बंद करने का अधिकार होगा।
8. शर्तों में संशोधन का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा जो एक माह पूर्व ठेकेदार को सूचित किया जा सकेगा।
9. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर जीएफएण्ड आर के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. नियमानुसार कर दर प्लेसमेंट संस्था द्वारा भुगतान योग्य है। उनका चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. महाविद्यालय की सुरक्षा बाबत 45 वर्ष के रिटायर्ड मिलिटरी के उपर्युक्त सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने होंगे।

(3)
प्राचार्य
राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

12. उक्त अवधि में यदि किसी भी प्रकार की विभागीय संपत्ति की चोरी अथवा नुकसान होता है तो प्लेसमेंट संस्था जिम्मेवार होगी।
13. ड्यूटी अवधि में कार्मिक की दुर्घटना पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हर्जे खर्च का जिम्मेवार प्लेसमेंट संस्था होगी।
14. साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं है। यदि साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाश पर रहता है तो उसकी व्यवस्था प्लेसमेंट एजेन्सी को ही करनी होगी। सुरक्षा गार्ड यूनीफार्म में ही रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

बिड की अन्य शर्तें

नोट : बिडदाता को बिड फार्म भरने से पूर्व निम्न नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाना चाहिये।

1. बिड प्राचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर को मोहरबंद लिफाफे में बंद करके भेजे। जिस पर कार्य का विवरण उपलब्ध कराने की बिड अंकित हो। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. दरों की इकाईयों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और दरें शब्दों के साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिये। अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में लिखी दरें ही प्रस्तावित दर मानी जावेगी।
3. श्रम विभाग में रजिस्टर्ड फर्म को ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
4. अनुमोदित बिडदाता के संबंध में यह समझा जावेगा कि उसने कार्य से संबंधित समस्त शर्तों या विस्तृत विवरण की जानकारी प्राप्त कर ली है कार्य आदि किसी अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे बिडदाता हस्ताक्षर करने से उपापन अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

प्राचार्य


राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

5. बिडदाता अपनी बिड अथवा उसका सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य ठेकेदार /एजेन्सी को सौंप सकेगा और न ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा ।
6. बिड पेन/बालपेन से भरी जानी चाहिये । पेन्सिल या अन्य किसी से भरी गई बिड अस्वीकार योग्य होगी । अपलेखन (ओवर राइटिंग) नहीं किया जाना चाहिये यदि किया गया हो तो लघुहस्ताक्षरित होना चाहिये ।
7. बिडदाता को बिड की शर्तों और प्रविष्टियों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में हस्ताक्षर करने चाहिये ।
8. इच्छुक बिडदाताओं रु कुल निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत (रु 10000) निर्धारित प्रपत्र में बिड प्रतिभूति राशि जमा ड्राफट जो प्राचार्य एमएस कॉलेज, बीकानेर के पक्ष में होगी जमा करानी होगी ।
9. सफल बिडदाता को निर्धारित प्रारूप में एक करार कार्यादेश के 15 दिवस में निष्पादित करना होगा और 05 प्रतिशत संविदा के लिए कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवाने होंगे । बिडकार्य संपादन की रकम अनुबंध समाप्ति की तारीख से दो माह पश्चात सफलतापूर्वक कार्य संपादन पर लौटा दी जायेगी । ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा ब्याज नहीं दिया जावेगा । करार के पूर्ण करने पर उसे लगे स्टाम्प पत्रों को संदाय प्रदायक करेगा और केता अधिकारी को स्टाम्प लगे हुए निष्पादित करार की एक प्रतिलिपि निशुल्क दी जावेगी । यदि बिडदाता कार्य संपादन प्रतिभूति निष्केप जमा कराने या वांछित कालावधि में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को नियमों एवं शर्तों को भंग माना जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी । शर्तों को लघुभंग करने या ठेकेदार का असंतोषप्रद ठंग से पूरा करने पर प्रतिभूति राशि केताधारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जावेगी । इस संबंध में सचिव का निर्णय मान्य होगा ।
10. फर्मों को किये गये संदाय पर विप्रेक्षण व्यय संविदाकरों द्वारा वहन किया जावेगा ।
11. यदि बिडदाता द्वारा कार्य नहीं किया जा सका तो बिडदाता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिडदाता की ~~जीमेंखेम~~ पर कार्य करवाया जा सकेगा तथा

प्राचार्य

राज. महाराजी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

उसमें हुई हानि की वसूली बिडदाता से की जावेगी, परन्तु बिडदाता प्रतिकम के फलस्वरूप लाभ का हकदार नहीं होगा।

12. बिडदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की और से अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सिफारिश के कारण बिड अमान्य हो जावेगी।
13. किसी भी बिड की स्वीकार करने में प्राचार्य के लिए यह आवश्यक नहीं की वह निम्नतम दर वाली बिड को ही माने प्राचार्य के पास किसी भी बिड/समस्त विंडों को बिना बताये अस्वीकार करने को अधिकार सुरक्षित है।
14. कार्य का प्रमाणीकरण पश्चात ही ठेकेदार को भुगतान दिया जायेगा।
15. अनुमोदित दरें दिनांक 30.06.2020 तक मान्य होगी। इससे आगे की अवधि पारस्परिक सहमति से एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है।
16. आवश्यतानुसार गार्ड उपलब्ध करवाने होंगे। गार्ड की संख्या में वृद्धि हेतु पूर्व सूचित कर दिया जावेगा।
17. भुगतान की जाने वाली राशि पर स्त्रोंत पर आयकर की कटौति आयकर अधिनियम के प्रावधानानुसार की जावेगी।
18. समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रथम दिन ₹ 10/- प्रतिश्रमिक, दूसरे दिन 20/- प्रति श्रमिक व तीसरे दिन 30/- प्रति श्रमिक व इसके पश्चात अनुबंध की दरों के आधार पर प्रतिश्रमिक क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जावेगी।
19. गार्ड को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयावधि में प्रतिदिन कार्य करना होगा। कार्य का समय आवश्तानुसार द्वारा निर्धारित किया जावेगा। अवकाश दिवसों में भी कार्य करवाया जा सकता है।
20. ठेकेदार बिड के साथ अपने कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. गार्ड के कार्य एवं व्यवहार के संबंध में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि श्रमिकों के कार्य से कॉलेज को काई क्षति होती है तो ठेकेदार को इसकी पूर्ति करनी होगी।
22. यदि कार्य के दौरान किसी गार्ड के साथ कोई दुर्घटना आदि होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी(3) 

23. ठेकेदार को संबंधित कार्य का किसी राजकीय/अर्द्धराजकीय/निजी संस्थान / स्वायतशासी संस्थान में कम से कम एक वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए।
24. गार्ड आवश्यतानुसार एवं मांग अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे। गार्ड की संख्या में कमी /बढ़ोतरी की जा सकती है।
25. गार्ड द्वारा अनुशासनहीनता आदि पर 7 दिवस का नोटिस जारी कर कभी भी अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
26. प्रस्तुत संलग्न दरें कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक वैद्य/मान्य हैं। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
27. अनुबंध पर लगे गार्ड की ईएसआई/इपीएफ की कटौति कर नियोक्ता के अंशदान की राशि सहित राशि संबंधित विभागों में जमा करवाने का दायित्व अनुबंध का होगा।

नोट : बिड स्वीकृत होने के एक माह में असफल बिडदाताओं की बिड प्रतिभूति राशि वापस लौटा दी जावेगी तथा सफल बिडदाता की बिड प्रतिभूति राशि कार्य संपादन प्रतिभूति में समायोजित की जा सकेगी।

निविदादाता / श्रमप्रदाता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

मोबाइल न. :

प्राचार्य

राज. महाराष्ट्री सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)